निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 18/2018
दायरा दिनांकः—06.06.2018
निर्णय दिनांकः— 30.5.25

उनवान

1.दुर्गाशंकर आयु 60 वर्ष पुत्र जगन्नथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कडैयाछतरी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. प्रेमनारायण आयु 42 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड निवासी कडैयाछतरी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. महेन्द्र कुमार मेहता आयु 28 वर्ष पुत्र रामभरोस जाति किराड निवासी कडैयाछतरी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. शिवचरण आयु 58 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी कडैयाछतरी हाल निवासी वार्ड सं0 07 पुरानी नाकोडा कॉलोनी बाबजी नगर बारां जिला बारां (राज0)
4. लक्ष्मण आयु 45 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी कडैयाछतरी हाल निवासी 255 भीमगंज पंजाबी कॉलोनी वार्ड सं0 2 बारां जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री हेमन्त पारीक — प्रार्थी
2. श्री हरिओम शर्मा — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कडैयाछतरी तहसील छबडा जिला बारा (राज०) में खाता सं0 208 / 198 में भूमि ख० नं0 433 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा ख० नं0 433/671 रकबा 15 बिस्वा, ख० नं0 433/672 रकबा 08 बिस्वा, कुल किता 03 कुल रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, भूमि शामलाती रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम कडैयाछतरी तह० छबड़ा में खाता सं0 209/197 में भूमि ख०

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नं0 201 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, ख० नं0 232 रकबा 11 बिस्वा ख0नं0 430 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 432 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा ख० नं० 434 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 8 बीघा अवस्थित है. जो भूमि शामलाती रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी दर्ज है। उक्त विवादित आराजी में से 1/3 हिस्सा वादी का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं03 शिवचरण व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं० 4 के लक्ष्मण का है। उक्त विवादित आराजी का बटवारा नहीं हुआ है ओर परिवार की जमीन में किसका कब्जा कोनसी दिशा में हें महत्व नही रखता कब्जा भी किस तरफ का है मायना नही रखता मात्र अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी सभी खातेदारान को लेने का अधिकार होता है. बिना बटवारे के किसी भी खातेदार को अपने हिस्से की आराजीयात को रहन व बेचान का व किसी भी अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने का विधिक अधिकार नही होता है। इसलिए उक्त विवादित आराजी के किसी भी हिस्से व खसरा नंम्बरान के बेचान से पूर्व उक्त आराजी का बटवारा होना कानूनी रूप से आवश्यक है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित विवादित सम्पूर्ण आराजीयात का बटवारा व नक्शा तरमीम नहीं होने के बाद भी अप्रार्थीगण कमश 3 व 4 द्वारा अप्रार्थीगण व 2 को दिनाक 04/06/2018 को उपपजीयन अधिकारी छबड़ा के समक्ष आराजी वाके माल कडैयाछतरी की खाता नं. 208 / 198 खसरा नं. 433 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा व खाता न. 209 खसरा नं 430 रकबा 03 बीघा 06 विस्वा, खसरा नं. 432 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, मे से अपने चुकते हिस्से का विक्रय पत्र नियम विरूद्ध रूप से तस्दीक करवा दिया गया है। जब कि सम्पूर्ण आराजीयात का बटवारा होना आवश्यक है ओर अप्रार्थीगण 3 व 4 का भी विकय की गई आराजी पर कब्जा होना आवश्यक था। इसलिए विक्रय की आराजी का केतागण /अप्रार्थीगण 1 व 2 के पक्ष में इन्तकाल नहीं खोला जा सकता है। केतागण / अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा उक्त विवादित आराजी पर जबरन ताकत के बल पर दिनाक 5/6/2018 को कब्जा करने मय हथियारों के पहुंच गए वादी ने उन्हे बडी मुश्किल से रोका लेकिन फिर भी जबरन करीब बीघा के लगभग प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी हाक लिया ओर ऐलानिया धमकी दी की दो चार दिन में प्रार्थी की शेष आराजी को भी हाक लेगे हमारा थाना वाले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते ओर तुम्हारे हाथ पैर भी काट देगें कोई गवाही भी नहीं देगां। इसलिए प्रार्थी के पास अप्राथीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से ता फैसला वाद पांबद कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा है, और प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि के जिस भाग पर कब्जा किया है उस पर से बेदखल किया जाना आवश्यक है, अप्राथीगण 1 व 2 विवादित आराजी जो की कय की हैं उसका इन्तकाल खुलवाने के लिए भी आमदा है उसे रोका जाना आवश्यकहें, व प्रतिवादीगण 3 व 4 द्वारा अन्य शेष आराजी को बिना बटवारा हुये बेचान व रहन व किसी प्रकार से हस्तांतरण किये जाने से रोका जाना आवश्यक होने से वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रस्तुती का कारण दिनांक 04/06/2018 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी जिसको विक्रय करने का अधिकार अप्रार्थीगण 3 ता 4 को नही होने के बाद भी अप्रार्थी कम 1 व 2 के पक्ष मे तस्दीक करवा दिया गया ओर जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने के बाद प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा यह धमकी देने से की मे इस विक्रय पत्र से इन्तकाल खुलवाकर तुम्हारी समस्त आराजी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाछतरी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 208 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाछतरी सम्वत् 2073–76 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2073–76 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयाछतरी तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज है विवादित आराजी का बटवारा नही हुआ बिना बटवारा कराये कब्जा कोई मायने नही रखता प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार होता है बिना बटवारा कराये खातेदार भूमि को बेचान नही कर सकता है भूमि का बेचान करने से पूर्व बटवारा होना कानूनी रूप से आवश्यक है भूमि का बटवारा नही होने के बावजूद भी अप्रार्थी क्रम 3 व 2 ने अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को दिनांक 04.06.2018 को अपने सम्पूर्ण हिस्से का रजिस्टर्ड बेचान कर दिया है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय का नामान्तरण नही खुला है अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त पर जबरन कब्जा चाहतें है अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे। कि मूल वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी अप्रार्थीगण के मध्य 15–16 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से बटवारा कर रख है उक्त बटवारे के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 विवादित आराजी में 2/3 हिस्से के खातेदार कृषक है प्रतिवादीगण का हिस्सा नदी की तरफ था जिसकों बेचान करने के अधिकारी है अप्रार्थी क्रम 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा रजिस्टर्ड बेचान अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को किया है अप्रार्थी क्रम 3 व 4 को अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने का वैधानिक अधिकार है प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश किया है जब तब विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से खारिज नही हो जाता है तब तक प्रतिवादी को आराजी से बेदखल करने का कोई अधिकार नही है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है तथा कब्जा प्राप्त किया है अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर कब्जा छुडा लिया तो अप्रार्थीगण का अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाछतरी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 208 एवं खाता संख्या 209 में शिवचरण दुर्गाशंकर लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण के खातेदारी में दर्ज है उक्त भूमि शिवचरण दुर्गाशंकर व लक्ष्मण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है विवादित आराजी के बटवारा हेतु मूल वाद विचाराधीन है। शामलाती भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर, अच्छी में से अच्छी एवं बुरे में से बुरी भूमि पर बराबर–बराबर हक होता है। चूंकि किस खातेदार की भूमि कौनसी तरफ है, इसका निस्तारण मूल वाद के निस्तारण के साथ किया जाएगा तब तक वाद बहुलता को रोकने एवं मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उभयपक्षों

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियाा जाता है। उभयपक्षों को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयाछतरी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 433 रकबा 1.19 बीघा खसरा नम्बर 433/671 रकबा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 433/672 रकबा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 201 रकबा 1.03 बीघा खसरा नम्बर 232 रकबा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 430 रकबा 3.06 बीघा खसरा नम्बर 432 रकबा 2.09 बीघा खसरा नम्बर 434 रकबा 11 बिस्वा पर मौके एव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)